

अज अदालत ..... मुकाम .....

..... सरकार जरिये तहसीलदार बेगू बनाम ..... तपन तार

करम मुकदमा ..... नं० ..... 82/19 ..... सन् .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
01072019	<p>वादपत्र सरकार जरिये तहसीलदार बेगू द्वारा डी.आई.एल. आर.एम.पी के तहत हिस्से/खातेदारों कि घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया, जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश/परिपत्र कमांक/बीआर/एलआर/NLRMP/ एफ.126/पार्ट-2/10164-96 दिनांक 26.09.2017 के अनुसार डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत हिस्से/ खातेदारों कि घोषणा हेतु दिये गये निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 कि धारा 88 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली आइन्दा वास्ते तलबी दिनांक 18.06.2019 को पेश हो।</p> <p>12.7.19</p> <p>पत्रावली आज पेश हुई। अभिधारी तहसीलदार व सती पक्षकार उपस्थित। सती पक्षकारों ने अपनी आराजी में हिस्से नही होने से बताया कि उनके सती सह-खातेदारों ने आपसी सहमति से हिस्से बताये जो निम्न है। ग्राम बानोडा आराजी न. 446, 454, 455, 456, 457, 458 किला 6 रकबा 2.60 हेक्टर अरि में ऐजन बाई पति खिरमल हिस्सा 1/8, कापू पिता दौला 1/16, धापू प्रती रामचन्द्र का हिस्सा 1/16, माधू का हिस्सा 1/80, सोसर का हिस्सा 1/80</p>	<p>सोहनलाल जयपाल खेमलाल मोहन बोर रामेश्वर गोवाल रामेश्वर नि.रघुनथर नि.रामेश्वर नि.कली</p>

गदरू का हिस्सा  $\frac{1}{80}$ , पिता देवी लालनारायण  
 का हिस्सा  $\frac{1}{40}$ , लालचंद का हिस्सा  $\frac{1}{40}$ ,  
 युन्नीलाल पिता गोविन्द का हिस्सा  $\frac{1}{20}$ ,  
 रत्ना का हिस्सा  $\frac{1}{120}$ , मोहन का हिस्सा  
 $\frac{1}{120}$ , कमली का हिस्सा  $\frac{1}{120}$ , लक्ष्मी का  
 हिस्सा  $\frac{1}{120}$ , मूषी का हिस्सा  $\frac{1}{120}$ , जडाई  
 बेवा भूरा का हिस्सा  $\frac{1}{120}$ , गोपाल का  
 हिस्सा  $\frac{1}{60}$ , सोहन का हिस्सा  $\frac{1}{60}$ ,  
 रोमी पिता बालू का हिस्सा  $\frac{1}{60}$ , कमली  
 बेवा ऊकार का हिस्सा  $\frac{1}{4}$ , रामेश्वर लाल  
 का हिस्सा  $\frac{1}{12}$ , ककमा काई का हिस्सा  $\frac{1}{12}$ ,  
 हीरीबाई पति कन्हैयालाल का हिस्सा  $\frac{1}{12}$ ,  
 जारि दयोग सा. देह रहन बदल्लूट। हमने  
 यह हिस्से व खातेदारों द्वारा बताये गये  
 हिस्से मजमे आम में रखा गया जिलमें  
 उन्होने भी इसी हिस्से पर सहमति प्रकट  
 की गई।

अतः सह खातेदारों की सहमति व  
 तहसीलदार बेगू की रिपोर्ट व DCLRMP  
 के तहत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर  
 के आदेश / परिपत्र / क्रमांक / BR / LR / NLRMP  
 F-126 / पार्ट - 2 / 10164 - 96 दिनांक 20.9.2017  
 के अनुसार उनके पूर्व वर्मित हिस्से के अनुसार  
 खातेदारी छोषणा की जाती है। विस्तृत निर्णय  
 अलग से लिखा जाकर पत्रावली फसल शुभा  
 होकर नंबर से कम है।

(उपनिर्देशक)  
 (विशेष अधिकारी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चितौडगढ़ (राज0)  
दावा संख्या : 82/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगू तहसील बेगू जिला चितौडगढ़

.....वादी

बनाम

1. एजनबाई पति छीतरमल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
2. कालू पिता दौला दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
3. धापू पिता रामचन्द्र दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
4. नाथू पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
5. सोसर पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
6. मोत्या पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
7. गटू पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
8. सत्यनारायण पिता प्यारचन्द दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
9. लाभचन्द पिता प्यारचन्द दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
10. चुन्नीलाल पिता गोविन्द दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
11. रतना पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
12. मोहन पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
13. कमली पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
14. रूकमणी पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
15. भूली पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
16. जडाई पत्नि भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
17. गोपाल पिता बालु दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
18. सोहन पिता बालु दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
19. रामी बेवा बालु दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
20. कमली पत्नि उँकार दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
21. रामेश्वरलाल पिता कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
22. रूकमाबाई पिता कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
23. हीरीबाई पत्नि स्व. कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
24. रामेश्वरलाल पिता कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
25. रूकमाबाई पिता कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
26. हीरीबाई पत्नि स्व. कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू



.....प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगू  
पैरोकार वादी  
प्रतिवादीगण सं. 1 से 26

निर्णय दिनांक : 12.07.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगू द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि गाननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश/परिपत्र/क्रमांक/ वीआर/ एलआर/एन.एल. आर.एम.पी./एफ-126/पार्ट-2/10164-96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली का कोष

.....  
उपखण्ड अधिकारी  
बेगू (चितौडगढ़)

कोर्ट जयनगर पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया, दिनांक 12.07.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित आये।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगुं द्वारा उनके पत्रांक 1230 दिनांक 19.06.2019 से अवगत कराया कि ग्राम बानोडा में खाता संख्या 14 संवत् 2071-74 में दर्ज आराजी नं. 446,454, 455, 456, 457, 458 किता-6 रकबा 2.68 हैक्टर भूमि श्री एजनबाई पति छीतरलाल, कालु पिता दोला, धापू पुत्री रामचन्द्र, नाथु पिता देवी वगै० जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकोर्ड होकर उक्त खाते में हिस्से दर्ज नहीं है। अतः वादी प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 सह 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत हिस्से की घोषणा किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली को दिनांक 12.7.2019 को कोर्ट कैम्प जयनगर पर रखाया गया। सभी पक्षकारान उपस्थित आए। पक्षकारो को सुना गया। प्रतिवादीगण में उपस्थित पक्षकारो ने बताया कि मौजा ग्राम बानोडा में वाद वर्णित आराजी किता 6 रकबा 2.68 हैक्टर भूमि उनकी सामलाती पैतृक भूमि है एवं चम्पालाल जी के वारिसान चार पुत्रो गोविन्द दोला रतना चन्दन के नाम से दर्ज हुई है। जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 1/4 है। गोविन्द दोला रतना चन्दन फोट होने से उनके वारिसान के नाम दर्ज हुए है। भैरू पिता नन्दा काली पुत्री नन्दा राधा पत्नि नन्दा द्वारा स्वयं का निहित हिस्सा का बेचान जो 1/8 जो रामेश्वरलाल, रूकमाबाई पिता कन्हैयॉलाल, हीरीबाई पत्नि स्व. कन्हैयॉलाल दरोगा का किया है। कोर्ट कैम्प में सजरा बनाया जाकर सजरे में पक्षकारो के बताये मुताबिक खातेदारो के हिस्से दर्ज किये गये सजरे में दर्ज हिस्से घोषित करवाने हेतु सभी प्रतिवादीगण सहमत है।

रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। सेटलमेन्ट रिकोर्ड में वाद वर्णित आराजी संख्या 378, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 726, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 736 किता 50 रकबा 7.60 हैक्टर श्री गोविन्द, दोला, रतना पिता चम्पा, नंदा काना पिता चंदन दरोगा सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। विरासत से नामान्तरण सं. 11 से दोला के बजाय गोपी कालू रामचंद्र राजू पिता दोला, नामा.सं. 12 से रतना के बजाय उंकार पिता रतना, ना.सं. 361 से गोविन्द के बजाय देवी मोडा चुन्नीलाल भूरा बालू पिता गोविन्द, ना.सं. 206 से नंदा के बजाय भैरू काली पिता नंदा राधा पत्नि नंदा, नामा.सं. 170 से देवी के बजाय नाथू पिता देवी, सोसर मोत्या गट्टू पिता देवी नन्दु पत्नी देवी मोडा के बजाय सोहनी पिता मोडा भुरा के बजाय रतना मोहन पिता भुरा कमली रूकमणी भूली पिता भुरा जडाई बेवा भुरा बालू के बजाय गोपाल सोहन पिता बालू कंचनी पिता बालू रामी पत्नी बालू गोपी के बजाय गीता प्रेम पिता गोपी मोडी बाई पत्नी गोपी रामचन्द्र के बजाय धापु पिता रामचन्द्र उंकार के बजाय कमली पत्नी उंकार नामा० सं० 272 से सोहनी पिता मोडा के बजाय सत्यनारायण लाभचन्द पिता प्यारचंद, नामा.सं. नामा० सं० 343 से भैरू काली पिता नंदा राधा

नन्दा  
उपस्थित अधिकारी  
वेन (दिनांक 12/7/19)

पत्नि नंदा के बजाय काना पिता चन्दना दरोगा के नाम दर्ज हुआ, ना.सं. 668 काना पिता चन्दन के बजाय रामेश्वरलाल रूकमा बाई पिता कन्हैयालाल हीरी बाई पत्नी स्व० कन्हैयालाल दर्ज हुआ है। मजमेआम में सजरा अनुसार खातेदारों के हिस्से की जानकारी की गयी। जिससे यह जाहिर आया की वाद वर्णित आराजी किता 6 रकबा 2.68 है० सामलाती आराजी है। जो रामेश्वरलाल, रूकमाबाई पिता कन्हैयालाल, हीरीबाई पत्नि स्व. कन्हैयालाल द्वारा भैरु पिता नन्दा काली पुत्री नन्दा राधा पत्नि नन्दा का हिस्सा क्य करने से खाते में रामेश्वरलाल रूकमाबाई पिता कन्हैयालाल, हीरीबाई पत्नि स्व. कन्हैयालाल का नाम दुवारा आ गया है। उक्त आराजी चम्पालाल जी की होकर उनके चार पुत्रों गोविन्द दोला रतना चन्दन पिता चम्पा के नाम दर्ज हुये है। जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 1/4 बनता है जो सही है। भैरु पिता नन्दा काली पुत्री नन्दा राधा पत्नि नन्दा का निहित हिस्सा जो 1/8 बनता है का बेचान रामेश्वरलाल रूकमाबाई पिता कन्हैयालाल, हीरीबाई पत्नि स्व. कन्हैयालाल दरोगा को किया गया। अतः मजमे आम में प्राप्त जानकारी व पक्षकारों की सहमती से मौजा बानोडा की आराजी संख्या 446, 454, 455, 456, 457, 458 किता- 6 रकबा 2.68 हैक्टर भूमि के हिस्से की घोषणा किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अधा. 88 राज० काश्त० अधि० सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम बानोडा की आराजी नं. 446, 454, 455, 456, 457, 458 किता- 6 रकबा 2.68 हैक्टर भूमि में ऐजनाबाई पत्नि छीतरलाल का हिस्सा 1/8, कालू पिता दोला का हिस्सा 1/16, धापू पुत्री रामचन्द्र, का हिस्सा 1/16, नाथू का हिस्सा 1/80, सोसर का हिस्सा 1/80, मोत्या का हिस्सा 1/80, गटू का हिस्सा 1/80, पिता देवी, सत्यनारायण का हिस्सा 1/40, लाभचन्द का हिस्सा 1/40, पिता प्यारचंद्र, चुन्नीलाल पिता गोविन्द का हिस्सा 1/20, रतना का हिस्सा 1/120, मोहन का हिस्सा 1/120, कमली का हिस्सा 1/120, रूकमणी का हिस्सा 1/120, भूली का हिस्सा 1/120 पिता भूरा, जडाई बेवा भूरा का हिस्सा 1/120, गोपाल का हिस्सा 1/60, सोहन का हिस्सा 1/60 पिता बालू रामी बेवा बालू का हिस्सा 1/60, कमली बेवा उँकार का हिस्सा 1/4, रामेश्वरलाल का हिस्सा 1/12, रूकमाबाई का हिस्सा 1/12 पिता कन्हैयालाल, हीरीबाई पत्नि कन्हैयालाल का हिस्सा 1/12 जाति दरोगा सा.देह रहन बदस्तूर का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिकी तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगू को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को कोर्ट कैम्प जयनगर, पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

12-7-19  
(रमेश जीरवी गुनाडिया)  
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
बेगू जिला चित्तौडगढ़

मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)  
दावा संख्या : 82/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगू तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ़

.....वादी

बनाम

1. एजनबाई पति छीतरमल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
2. कालू पिता दौला दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
3. धापू पिता रामचन्द्र दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
4. नाथू पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
5. सोसर पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
6. मोत्या पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
7. गटू पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
8. सत्यनारायण पिता प्यारचन्द दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
9. लाभचन्द पिता प्यारचन्द दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
10. चुन्नीलाल पिता गोविन्द दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
11. रतना पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
12. मोहन पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
13. कमली पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
14. रूकमणी पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
15. भूली पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
16. जडाई पत्नि भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
17. गोपाल पिता बालु दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
18. सोहन पिता बालु दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
19. रामी बेवा बालु दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
20. कमली पत्नि उँकार दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
21. रामेश्वरलाल पिता कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
22. रूकमाबाई पिता कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
23. हीरीबाई पत्नि स्व. कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
24. रामेश्वरलाल पिता कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
25. रूकमाबाई पिता कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
26. हीरीबाई पत्नि स्व. कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू



.....प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 12.07.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगू के समक्ष कोर्ट कैम्प जयनगर पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :


अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0 काश्त0 अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम बानोडा की आराजी नं. 446, 454, 455, 456, 457, 458 किता-6 रकबा 2.68 हैक्टर भूमि में ऐजनबाई पत्नि छीतरलाल का हिस्सा 1/8, कालू पिता दोला का हिस्सा 1/16, धापू पुत्री रामचन्द्र, का हिस्सा 1/16, नाथू का हिस्सा 1/80, सोसर का हिस्सा 1/80, मोत्या का हिस्सा 1/80, गटू का हिस्सा 1/80, पिता देवी, सत्यनारायण का

न्यायालय सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
बेगू (चित्तौडगढ़)

हिस्सा 1/40, लाभचन्द का हिस्सा 1/40, पिता प्यारचंद्र, चुन्नीलाल पिता गोविन्द का हिस्सा 1/20, रतना का हिस्सा 1/120, मोहन का हिस्सा 1/120, कमली का हिस्सा 1/120, रूकमणी का हिस्सा 1/120, भूली का हिस्सा 1/120 पिता भूरा , जडाई बेवा भूरा का हिस्सा 1/120, गोपाल का हिस्सा 1/60, सोहन का हिस्सा 1/60 पिता बालू रामी बेवा बालू का हिस्सा 1/60, कमली बेवा उँकार का हिस्सा 1/4, रामेश्वरलाल का हिस्सा 1/12, रूकमाबाई का हिस्सा 1/12 पिता कन्हैयाँलाल, हीरीबाई पत्नि कन्हैयाँलाल का हिस्सा 1/12 जाति दरोगा सा.देह रहन बदस्तूर का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 12.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

 12-7-19  
(रमेश सीरवी पुनाडिया)  
सहायक कलेक्टर (सिपखण्ड अधिकारी)  
बेगूँ जिला, चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ प्रस्तुत है।